कार्यवाही विवरण

मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–1,00,000 टन प्रति वर्ष, खसरा क्रमांक–1198/3, 1199/1, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1205/8, 1206/1, 1206/2, 1207, 1208, 1210, 1211, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240, 1669, 1671/2, 1672/2, 1673/3, 1677/1, 1677/2, 1678, 1680, 1681, 1682 एवं 1683 कुल लीज क्षेत्र–29.2 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.02.2021 समय दोपहर 12:00 बजे स्थल–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने में ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–1,00,000 टन प्रति वर्ष, खसरा क्रमांक–1198/3, 1199/1, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1205/8, 1206/1, 1206/2, 1207, 1208, 1210, 1211, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240, 1669, 1671/2, 1672/2, 1673/3, 1677/1, 1677/2, 1678, 1680, 1681, 1682 एवं 1683 कुल लीज क्षेत्र–29.2 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 30.12.2020 एवं दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 30.12.2020 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 02.02.2021 को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने में ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अहिवारा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पथरिया, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पिटौरा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कोड़िया, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बागडुमर, जिला–दुर्ग,

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पोटिया, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सगनी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत परसदा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गिरहोला, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त खदान की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 02.02.2021 को दोपहर 12:50 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री विजय साहू द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना पक्ष, सुझाव, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रविशंकर सिंह, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष, ग्राम–अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

➢ छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित लोक सुनवाई में परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूॅ। अध्यक्ष महोदय यहॉ उपस्थित हम सभी लोग इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि है। पूर्व में हुई जन सुनवाईयों में हम लोग उपस्थित होते रहे है, इस क्षेत्र की समस्याओं को, रोजगार की समस्या को, मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से रखते आये हैं। पूर्व में कई जन सुनवाई हुई है। हमने हमेशा मांग की है कि इस क्षेत्र में कंपनी आनी चाहिए। जब जे.पी.सीमेंट भिलाई ले जाने की

योजना बनी तो हमने जे0पी0 सीमेण्ट को भिलाई ले जाने का विरोध किया और कहा कि यहॉ से निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग करते हुए जे0पी0 सीमेंट यही लगना चाहिये। मै खुद इस्पात मंत्री से चर्चा करने भिलाई निवास की बैठक में उपस्थित हुआ था। इस संबंध में इस्पात मंत्री के सामने सभी मुद्दों के संबंध में चर्चा की गई। उस समय बीएसपी से निकलने वाले फलाई ऐश की उपलब्धता को देखते हुए जे0पी0 सीमेंट को भिलाई में स्थापित किया जाएगा और नंदिनी में प्लाण्ट को स्थापित करने नही दे सकते। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके क्षेत्र को कोई न कोई प्लांट देंगे। फिर यहां फेरो एलाय प्लाण्ट नंदिनी के लिये 2008 में स्वीकृत हुआ। वर्ष 2010 में इसकी जनसुनवाई हुई। हम लोगों ने इस प्लांट के पक्ष में अपना पक्ष रखा लेकिन प्लांट कुछ कारणों से नहीं लग सकां। फिर कोक ओवन संयंत्र स्थापना की बात हुई। लेकिन कोक ओवन के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रावधान नहीं था। उसकी जनसुनवाई नहीं हुई। दोनों संयंत्र आज भी लंबित है। हमारे सांसद महोदय विजय बघेल ने चर्चा में बताया कि प्लाण्ट/संयंत्र नंदिनी क्षेत्र में अवश्य लगेगा। 50–60 वर्षो से ए0सी0सी0 सीमेण्ट कंपनी हमारे क्षेत्र के चूना पत्थर लेकर जाती है और उच्च गुणवत्ता का सीमेण्ट उनके द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद पथरिया में जनसुनवाई में हम लोग शामिल हुए। यहां हमने कहा खदान संचालित होना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। प्लाण्ट लगेगा तो ट्रक, दुकान, छोटे छोटे व्यवसाय इससे संभव होगा। ए0सी0सी0 माइन्स की जनसुनवाई मेड़ेसरा में हुई। बीएसपी मार्ग का संधारण अतिशीघ्र होना चाहिए। यहां खनन क्षेत्र में 17–18 निजी खदानें हैं जिन्हें शासन के आदेशानुसार बन्द कर दिया गया। यहां पर इन्ही खदानों को चालू करने के लिये जन सुनवाई भी हुई थी। तब सब की यही मांग थी इन्हें शासन अनुमति देकर खोले। लेकिन माईनिंग करने इन्हें अनुमति प्रदान नही की गई है। इसका निराकरण किया जाये। मेरा कहना है क्यों जन सुनवाई होती है, इसमें क्यों ग्रामीणो को सुना जाता है, क्या क्या दिक्कते हैं ये सारी बाते आनी चाहिए। बन्द खदानें, उनकी लीज स्थगित कर दी गई, वर्षा जल का भराव हो गया है उसमें मोटर पम्प लगाकर जल का निस्तारी हेतु उपयोग में लाया जाये। आने वाले समय में माइनिंग खदान डिपाजिट नही है। हमारे क्षेत्र में तीन प्रमुख खदाने हैं, भिलाई स्टील प्लांट, नंदिनी से निकलने वाला चूना पत्थर स्टील ग्रेड का है, जो बीएसपी में काम आता है। ए0सी0सी0 और जे0के0 लक्ष्मी खदानों से प्राप्त होने वाला चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, जिससे सीमेंट बनाई जाती है। भिलाई स्टील प्लाण्ट, नंदिनी माइन्स 50 लाख रूपये राजस्व के रूप में सालाना देता है। ए0सी0सी0 से लगभग 40–50 लाख शासन को डिपाजिट मिलती है। जे0के0लक्ष्मी व अन्य से 25–30 लाख शासन को डिपाजिट मिलती है अर्थात जमा होती है। हमारे इन आठ गांवों में स्थापित खदानों के खनन से इतने राजस्व की प्राप्ति होती है फिर भी हमें सड़क, शिक्षा, चिकित्सालय के लिये आवाज उठना पड़ता है। करोड़ों रूपये जब शासन को इससे प्राप्त होते है तो क्षेत्र की जितनी भी मूलभूत सुविधायें हैं वो शासन को प्रदान करनी चाहिए। मै अनुरोध करता हूँ कि ये सभी व्यवस्थाएं डीएमएफ फण्ड के माध्यम से की जाए। जनसुनवाई और भी बहुत विषयों के लिये हुई। विकासखण्ड के लिये जनसुनवाई कलेक्टर में हुआ। तहसील की बात आई तो हमने अहिवारा को तहसील का दर्जा दिलाने मांग की। हमने कहा कि शिवनाथ नदी और खारून नदी धमधा के मध्य भौगोलिक सामंजस्य बनाकर, 70–80 गावों को मिलाकर अहिवारा को नई तहसील बनाया जाये। इस संबंध में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन द्वारा अहिवारा को तहसील को दर्जा दिलाने की मॉग भी की थी। बड़ी खुशी की

बात है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा अहिवारा को तहसील बनाये जाने की घोषणा की गई। अब विषय आता है कि इस जन सुनवाई में क्या निचोड है, क्या सार निकल कर आया है, चुंकि मै सर्वप्रथम बोलने आया हूं। मेरे हिसाब से इसका यही निचोड़ है कि जब हमारे क्षेत्र में खनन होता है तो इस क्षेत्र में उद्योग लगना चाहिये, कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिये, क्षेत्र को मूलभूत सुविधाए प्राप्त होनी चाहिये और सबको रोजगार मिलना चाहिये। इस बीच कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सीखा दिया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। अब दूसरे क्षेत्र में जाकर रोजगार करना संभव नही रहा है। कुछ समय पहले मैं जयपुर से आ रहा था तब मैंने देखा वहां रेलवे स्टेशन में 300 मजदूर खड़े थे। मैं उनमें से एक मजदूर से पूछा– आप लोग कहां से आ रहे हो। तब उसने बताया कि मैं जयपुर में मेसन का काम करता हूं मुझे लगभग 550 रूपये रोजी मिल जाता है। यहां हम लोग सहपरिवार लगभग 6–8 माह में काम करके वापस अपने घर चले जाते हैं। मैने उनसे पूंछा कि इतनी कमाई तो आपको दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में भी मिल जाती है, फिर क्यों आप बाहर काम करने जाते हैं, उसने बताया कि पहले तो हमें हमारे स्थानीय क्षेत्र में काम नहीं मिलता है, यदि काम मिल भी जाये तो भी पुरे वक्त काम नहीं रहता है। यहॉ से हम लोग साल भर में एक से डेढ़ लाख बचत करके अपने घर ले आते है। अध्यक्ष महोदय हमारे यहॉ भी यह वर्क कल्चर डेवलप किया जाना चाहिये। यही व्यवस्था हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर करना चाहते हैं। शासकीय योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बड़ी खदानों से स्टील सीमेंट आदि उद्योगों की जरूरते पूरी होती है तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री आवास के घर , हमारे रेलवे ट्रेक, फ्लाई ओव्हर और गॉव के निर्माण कैसे होंगे। इनके लिये गिट्टी तो छोटी खदानों से ही मिलती है। इसलिये छोटी खदाने संचालित हो जिससे चूना पत्थर लाईम स्टोन से सारे विकास के कार्य हो सकें। इस क्षेत्र के 17–18 खदान पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी आज बन्द हैं। ये छोटे खदान संचालित करने वाले सारे नियम कानून का पालन करते हैं। इनके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन भी किया जाता है। मे0 दलवीर एण्ड संस मेड़ेसरा लाईम स्टोन माइन्स को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है। नंदिनी रोड की समस्या को मैंने बताया। मैने नंदिनी माईंस के श्री पंकज गौतम जी से मुलाकात कर एक करोड़ की लागत से नंदिनी रोड का मरम्मत कराया क्योंकि वह सर्विस रोड था। कुछ समय बाद राज्य शासन से पत्र आया है और उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि यह सड़क राज्य सरकार बनायेगी। हम सब विकास को चाहने वाले लोग हैं, विकास होगा तो सबका होगा। आज मे0 दलवीर एण्ड संस मेड़ेसरा लाईम स्टोन माइन्स की जनसुनवाई है जिसमें पर्यावरण से संबंधित सभी नियमों का पालन इनके द्वारा किया जायेगा। सीएसआर की राशि का 2 प्रतिशत खदान का मालिक गांव के विकास के लिये खर्च करेगा। इनके ओनर को मैं पूर्व से जानता हूं। गांव के विकास में उनका सहयोग बराबर मिलता रहता है। माइनिंग के लिये इस माइन्स को अनुमति दी जाये। धन्यवाद जय हिन्द।

2. **श्री विजय द्विवेदी, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।**

➢ महोदय जी मै सदस्य जिला खनिज संस्थान न्यास हूं। अभी बहुत सी बातें हमारे बड़े भईयॉ रविशंकर सिंह ने रखी है। क्षेत्र में निश्चित रूप से जब खदान आये तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है और जनसुनवाई के

समय जो हम अपनी बातों को रखते है और खदान मालिकों द्वारा वास्तव में उसका पालन होता है या नही यह देखने वाला बाद में कोई नहीं होता है। खदानों में 04 बजे ब्लास्टिंग होती है जिससे मकान, दरवाजा, खिड़की सब हिल जाती है। मकानों में दरारे आ जाती है। खदानों द्वारा इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। खदान के सीएसआर का लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि खदान प्रबंधन द्वारा स्थानीय विकास में सहयोग नहीं किया है। माइन्स से हमें लाभ नही होता है। इससे हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। आपने पर्यावरण के लिये वृक्षारोपण की बात कही, आप जॉच कराकर देख लिजिये, आपको स्वतः यह बात पता चल जायेगी कि यहॉ पर कितना वृक्षारोपण हुआ है। जिस सहयोग की हमें अपेक्षा रहती है वह इन खदान वालों से नहीं मिलता है। खदान लगे या नही पर जो गांव इससे प्रभावित होगा, उसे बराबर लाभ मिलना चाहिये। गांव के रोड, शिक्षा, चिकित्सालय इसमें खदान वालों का सहयोग मिलना चाहिए। इन खदान वालों के पास जब भी हम अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे खदान का संघ इस पर निर्णय लेगा। हमें ऐसे ही लौटा दिया जाता है। ये खदान वाले पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं या नहीं विकास कर रहे हैं या नहीं इन सब बातों को ध्यान में रखा जाये। शासन को इन्हें निर्देशित करना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता से लाभ दे, सहयोग दे। मेरी बात आप संज्ञान मे लेंगे, ठोस पहल करेंगे, ऐसी आशा करता हूॅ मै। धन्यवाद।

3. **श्री शिव कुमार वर्मा, ग्राम–सहगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ मै वर्तमान में अहिवारा विधानसभा में बीजेपी का कोषाध्यक्ष हूॅ, अपने समाज की उपाध्यक्ष भी हूॅ और सर्वसमाज का भी उपाध्यक्ष हूॅ। मेरा व्यवसाय एस.आई.एस. में सिक्युरिटी गार्ड का है। मैं आर.एस.एस. का भी स्वयं सेवक हूं। वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर के लिये दान राशि इकक्ट्ठा कर रहा हूं। यह अत्यंत हर्ष और उल्लास की बात है कि मेरे क्षेत्र में नई खदान की जनसुनवाई हो रही है। मैं इस जनसुनवाई का स्वागत करता हूं। गांव को खदान के सीएसआर राशि से मदद मिलेगा। रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। करोना वायरस बीमारी से यहॉ की स्थिति दयनीय हो गई है। हमारे बीच आज बीरा सेठजी नही रहे, इसका हमें खेद है। शासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द खदान प्रारंभ हो। रोजगार मिल सकें। जय हिन्द जय भारत जय छत्तीसगढ़, सबको मेरा नमस्कार।

4. **श्री रजिन्दर सिंग, ग्राम–नंदिनी नगर, जिला–दुर्ग।**

➢ आज इस जनसुनवाई के लिये हम इकट्ठा हुए है। हमारे भाई रविशंकर सिंह ने अभी आप सबके सामने कॉफी विस्तार से अपनी बात बताई। मैं हमारे भाई विनय द्विवेदी ने जो अपना दर्द बताया है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखूंगा। पूर्व में भी हम 17–18 खदानों की जनसुनवाई के लिये इकट्ठा हुए थे। उन जन सुनवाईयों को अब तक स्वीकृति मिल जाना चाहिये था, यदि उन 17–18 खदानों को स्वीकृति मिल गई होती तो उनका भी सहयोग हमारे क्षेत्र को मिलता। पूर्व में हुए खदानों की जनसुनवाई को अनुमति दी जाये। खदान से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिये, परिवार चलाने के लिये जो मुसीबत में हैं उन्हें मदद मिलेगी। हमारे द्वारा जे0के0 लक्ष्मी प्लाण्ट को खुलवाने के लिये पहले आंदोलन किया गया था। जे0के0 लक्ष्मी सीमेण्ट के खुलने के बाद भी स्थानीय लोगों को वहां पर काम नहीं मिला, हमारे नंदिनी के मजदूरों

इसका कोई फायदा नहीं मिला। जे0के0 लक्ष्मी वाले बाहर से ठेके में लाकर लोगों को रोजगार देते है। यहां भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें काम पर रखा जाना चाहिए। इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जे0के0 लक्ष्मी सीमेण्ट वाले अपने पूरे एम्प्लाई को भिलाई में रखा हुआ है। वाहन से उन्हें काम पर लाते एवं ले जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ए0सी0सी0 प्लाण्ट से प्रदूषण हो रहा है। जे0के0 लक्ष्मी एवं ए0सी0सी0 से क्षेत्रीय लोगों को लाभ नही मिला है। इस क्षेत्र के लोकल लोगों से धार्मिक कार्यक्रम आदि से जो सहयोग मिलता है वह इन बाहर से आये लोगों से नहीं मिलता है। यह खदान खुले इसकी मांग मैं करता हूं। जो क्रशर जिस गांव क्षेत्र में स्थापित है उस क्रशर वाले से निवेदन है कि संघ के माध्यम से ही नहीं बल्कि स्वयं भी इन गॉवों का प्राथमिकता से सहयोग करे। लोगों को रोजगार मिले। खदानों से निकलने वाले पानी को लिफ्ट एरिगेशन पद्धति से किसानों के खेतों को दिया जाये। जिससे उन्हें कृषि कार्य करने में सुविधा हो, जिससे पर्यावरण स्तर सही बना रहेगा। पर्यावरण और रोजगार का असंतुलन दूर करने के प्रयास किये जाए। जय हिन्द जय भारत जय छ0ग0

5. **श्री नटवर ताम्रकार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ग्राम–अहिवारा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सब मने को मेरा शत् शत् प्रणाम। अगर छत्तीसगढ़ को, दुर्ग जिला को, भिलाई शहर को कोनों गिट्टी देथे तो केवल ए नंदिनी खुंदिनी, देउरझाल, मेड़ेसरा और पथरिया के धरती देथे। ऐ माटी से उच्च क्वालिटी के चूना पत्थर मिलथे, ऐ अहिवारा क्षेत्र 50 साल से छ0ग0 ला गिट्टी देवत हे। लेकिन जब प्रदान की बात होथे तो आदान की बात भी होना चाही। जो पीड़ा की बात द्विवेदी भाई रखत रहीस वो सही हे। आज यहां उद्योग के स्थापना होही तो हमर गांव के विकास होही। संसाधन उपलब्ध होही। उखर ले सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग मिलही। सहयोग न मिलने से निराशा मन में उत्पन्न होथे। पहले भी 17 खदान की जन सुनवाई होए रहीस। हमन पहले भी अपन समर्थन दे रहेन और आज भी अपना समर्थन देथे। ऐ खदान खुले से स्थानीय लोग मन ला रोजगार मिलही , तो हम एकर समर्थन करत हन। ऐ बात भी सही हे कि खदान चालू होने से वाटर लेवल डाउन हो जाथे। अगर विश्व में गुणवत्ता वाली गिट्टी मिलथे तो हमर क्षेत्र से ही मिलथे। पहिले बीएसपी में 5 हजार वर्कर काम करत रहे, लेकिन अब दो तीन सौ लोग ही काम करथ हे। तब बीएसपी कहे रहिस कि अहिवारा में भी प्लाण्ट लगही। कुछ समय बाद जे0के0 लक्ष्मी सीमेण्ट प्लाण्ट के स्थापना होईस। कोरोना काल में सहयोग खातिर गरीब गरीब आदमी मन एक एक पैली चांवुर ला देवत रहिस, लेकिन वहा रे जे0के0लक्ष्मी, ए0सी0सी0 एकर द्वारा कुछ नही दीस। आज दलवीर सिंह द्वारा भी प्रोजेक्ट के लगभग 2 प्रतिशत यानि 5 लाख रूपये की राशि से सहयोग दिये जाने के बात रखे गए है। कई बार हमर सियान मन बोल बोल के थक गये लेकिन भिलाई सड़क बर कोई कार्यवाही नही होए। मंत्री महोदय जी को भी मोर द्वारा कहे गए कि भिलाई रोड के काम करा देंगे तो आपको चिरकालीन यश की प्राप्ती होगी। मैं आदरणीय रजिन्दर सिंह के बात से सहमत हो। किसानों को लिफ्ट एरिगेशन पद्धति के माध्यम से पानी मिलना चाही। अच्छी बात हे। लेकिन उचित व्यवस्था होना चाही। लोगों को सिंचाई की सुविधा इससे मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एक सोच बने हे। खदान से जो पैसा केन्द्र ला

जाथे उस पैसे का उपयोग क्षेत्र के विकास कार्य में लगना चाही। मेड़ेसरा में खनिज विधि से कोनो काम नई होए हे। जे0के0लक्ष्मी से गांव के लोगों को सहयोग नहीं दिये जाथे। प्रभावित गांव को प्रतिवर्ष जनसंख्या आधार पर तय कर एक पंचायत ल खनिज मद से 50–50 लाख रूपये मिलना चाहिए। अहिवारा ऐसा जगह है जो सबके भार ल सहिथे। हमर गांव के सड़क के गड्ढा पाटने में खर्चा अधिक आयेगा, लेकिन डामर से यह काम करने पर ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हमारे क्षेत्र से खनिज के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं तो आपको गांव के विकास में अंशदान भी करना चाही। हमारे यहां का रोड़ प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के तहत बना है। यह बहुत जर्जर हो गे हे। इसमें पिचिंग नहीं होए हे। कुछ कुछ जगह में पिंचिंग हमर गांव के श्रमदान द्वारा कराए गईस हे। अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र ला सालाना 2 करोड़ के राशि खनिज निगम से मिलना चाही, हमारे क्षेत्र में उद्योग की स्थापना होना चाही यह बात हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे है लेकिन हम गॉववासी मन ला कोई पीड़ा नहीं होना चाही। मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करथ हो। ग्रामीणों की हर मांग पूरी होनी चाही। जय हिन्द जय भारत जय छग0.......

6. **श्री चंद्रिका प्रसाद साहू , सरपंच, ग्राम–पथरिया, जिला–दुर्ग।**

➢ इस खदान प्रबंधक ने कोविड–19 के दौरान स्थानीय लोगों को भोजन उपलबध कराया। मेरा सादर अनुरोध है कि डीएमएफ फण्ड बन्द कर देना चाहिए। शासन को सबसे ज्यादा करोड़ों रूपये ग्राम पंचायत पथरिया से जाता है। मै पिछले छः साल से ग्राम पंचायत पथरिया का सरपंच हूँ, मैने पिछले छः साल से छः लाख रूपये का काम डीएम फण्ड से पथरिया में नहीं हुआ है। मेरा सादर अनुरोध है कि डीएमएफ फण्ड को बन्द करके सीएसआर के तहत् दो प्रतिशत दी जाने वाली राशि को बढ़ा कर दस प्रतिशत कर दी जानी चाहिये। ताकि ग्राम पंचायत के लिये विकास का रास्ता खुल जाए, रोजगार का रास्ता खुल जाए। ए0सी0सी0 का पब्लिक हियरिंग वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत – पथरिया में हुआ। इसमें बताया गया था कि 100 व्यक्तियों कों अप्रत्यक्ष रूप से तथा 21 व्यक्तियों प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जायेगा। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उक्त 21 में से एक भी व्यक्ति को ए0सी0सी0 कम्पनी लिमिटेड द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। मैं सरपंच होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि इस खदान को खुलने की अनुमति दी जाये। इससे गरीब मजदूरों को रोजगार मिलेगा और बाढ़ भी आता है तो यही हमारे सेठ जी सुखा राशन से लेकर ही चीज की व्यवस्था करता है। बाढ़ आने पर गांव वाले इन्हीं की शरण में जाते हैं । यही सेठ सभी को राशन चांवल सब्जी देता है। ऐसे सेठ का खदान खुलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। डी0एम0एफ. फंड बंद करके डॉयरेक्ट पंचायत को विकास के लिए पैसा देने की योजना बनाने का अनुरोध है। यही मैं कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

7. **श्री अशोक बाफना, नगर पालिका उपाध्यक्ष, ग्राम–अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

➢ आज यहां जनसुनवाई मेसर्स दलवीर सिंह एंड संस लाईम स्टोन माइंस मेडेसरा के लिए रखी गई है। हमारे पिता जी पहले कपड़े का व्यवसाय करते थे। यहां मड़ाई में कपड़ा बेचने आते थे। प्रांगण में हटरी बाजार लगता था। पहले यहां का बाजार काफी भरता था। जहां से हम लगभग एक–दो हजार रूपये का व्यवसाय करके जाते थे। दस

Rav

गांव के किसान भाई, मजदूर भाई व्यवसाय करते थे। लेकिन आज मुश्किल से यहां लगभग 2 सौ लोग ही बाजार में आते हैं। इसका कारण यह है कि यहां रोजगार सिमित होते जा रहाह है आज हमारे बीच में जो छोटे–छोट माइंस हैं, निश्चित रूप से बड़े माइंस के बारे में नहीं कहूंगा कि वहां क्या रोजगार मिल रहा है। लेकिन आज मैं 25–30 गाड़ियों का संचालन इन छोटी माइंस की वजह से ही कर रहा हूं। जिसमें ग्रम–मेडेसरा, देउरझाल,नंदिनीखुदिनी, पथरिया के 100–150 परिवार का घर इन गाडियों की वजह से चल रहा है। आज निश्चित रूप से इस अंचल में जे0के0लक्ष्मी सीमेंट एक उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है। आज मै गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उस उद्योग को स्थापना के दौरान हमने एक शर्त के साथ एनओसी दी थी, कि उद्योग में हमारे आसपास के 25 गांवों के लोगों को, महिलाओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को रोजगार देंगे। रोजगार हम अपनी शर्त पर नहीं मॉगेगे कि आप किसी को बाबू बनाकर, अधिकारी बनाकर बैठाएंगे। हमारी मॉग यह थी कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देंगे। जो व्यक्ति झाडू लगाने के योग्य हो तो उसे रोजगार दीजिये, जो व्यक्ति सुपरवाइजर के योग्य हो तो उसे रोजगार दीजिये।

- दो लाख रूपये पार्षद निधि से विकास के लिये मिलता था। हमारे द्वारा राशन वितरण कार्य किया गया। ऐसा व्यवसाय को कंट्रोल कीजिये कि जिसमें मान–सम्मान मिल सके। आज हमारे यहां दो बड़े उद्योग हैं ए0सी0सी0 और जे0के0लक्ष्मी। इसमें मेरा भी रोजगार जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में डेढ़ माह गाड़ियां बन्द थी तब उस समय मेरे द्वारा गांव वालों को सहयोग प्रदान किया गया। वीरा भईया का आज भी नाम लिया जा रहा है, अच्छी बात है। व्यवहार जीवन भर काम आता है। पैसा काम नहीं आता, हमारे क्षेत्र में मैं हमेशा सहयोग के लिये तत्पर हूं। बाहर के कांट्रेक्टर आकर यहां काम कर रहे हैं और हम चुपचाप देख रहे है। ऐसा न हो हमारे क्षेत्र के लोगों को काम मिलना चाहिए। जय हिन्द जय भारत जय छ0ग0........

8. **श्री उमेश पासवान, ग्राम–अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

- आज बोर्ड में जो खसरा नंबर लिखे है वह दलवीर सिंग की निजी जमीन है। इसके खुलने का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही पहले से बन्द 17–20 खदान को खोलने की अनुमति क्यों नही दी जा रही है ये भी पुछना चाहता हूँ। एडीएम साहब से निवेदन है कि खदान खुलने की अनुमति दी जाये। 17.89 हे0 भूमि ए0सी0सी0 को दी गई है जो चारागाह की जमीन है। इसके लिये हमे हाईकोर्ट जाना पड़ा। गॉव में सड़क बनाने के लिये इनसे सीमेण्ट और सरिया प्राप्त नहीं होते है। ये क्लिंकर की सप्लाई बाहर करते है। इसके लिये शासन द्वारा इन पर कार्यवाही किया जाना चाहिए। 15 साल बाद वाहन को कबाड़ में रखा जाने का प्रावधान किया गया है। इन लोगों के पुराने वाहन को भी कबाड़ में रखा जाना चाहिये। साथ ही खदान में उपयोग हो रहे वाहनों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। जय हिन्द।

9. **श्री विदेशी कश्यप, पतंजलि, ग्राम–धमधा, जिला–दुर्ग।**

- महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ग्राम मेड़ेसरा को डीएमएफ की राशि आज तक आबंटित नहीं हुआ हैं। जिसे आबंटित करने का अनुरोध है। यहां ब्लास्टिंग होती है, पेड़ों की कटाई हो रही है, कम से कम छ0ग0 में पेड़ों की कटाई को 5 सालों के लिये प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। ताकि पर्यावरण संतुलित हो सके। हमारे समीप गांव

कोडिया है जहां पहले अधिक पेड़ हुआ करता था, लेकिन आज बहुत से पेडो को कांटा गया है। मेटाडोर में पेड़ भरकर लेकर जाते हैं। इस पर तत्काल रोक लगाई जाये। रोजगार की बात हो रही है। गांव मेड़ेसरा में 200 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके है। कृषि क्षेत्र में विगत दिनों से वाटर लेवल काफी तेजी से डाउन हो रहा है और किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, शासन को इस पर ध्यान देना चाहियें। हमारे ग्राम मेड़ेसरा, नंदिनी खुंदिनी और पथरिया में जहां भी खाली जगह हो वहा पर अधिक से अधिक पेड़ लगाये जाएं। छोटे छोटे खदान से आसपास के गॉव के लोगों को रोजगार मिलता है अतः इसे खोला जाये। इसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद, जय भारत जय छ0ग0

10. श्री लीकेश कुमार जोशी, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

➢ आप सबको मेरा प्रणाम। जय जोहार। आज मे0 दलवीर सिंह एण्ड संस मेड़ेसरा लाईम स्टोन के रकबा–29.2 हेक्टेयर के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति रखा गया है। आज सबने अपना अपना अनुभव बताया है। लेकिन क्या इनके द्वारा जनसुनवाई में बोले गये वाक्यों की कोई सुनवाई होती है। मैं इस गांव का निवासी हूं। ब्लास्टिंग के समय बहुत वायब्रेशन होता है जिससे हमें काफी तकलीफ होती है। खदान लगने से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। खदान खुलेगा तो युवा साथी को रोजगार मिलेगा। लोग यहां से रोजगार के लिये बाहर जा रहे हैं। गांव के विकास के लिये डीएमएफ. फण्ड क्यों नही दिया गया। आज इन्द्रजीत जी को देखकर हमें ऐसा लगा कि ये गांव उनका है। मेड़ेसरा का नक्शा अद्‌भुत है। यहां के जैसा चूना पत्थर पूरे एशिया में कहीं नही है। इसलिये हर व्यक्ति यहां बिजनेस करना चाहता है। खदान में काम करने वाले कुछ लोगों को ही इस क्षेत्र से रखा जाता है। खदान खुलने से हमें कोई आपत्ति नही है। गांव का विकास करेंगे तो यह खदान खुले। पावर ग्रिड की स्थापना हमारे गांव के ही 5 लोग नारियल फोड़ के किये थे। लेकिन उस कंपनी के द्वारा हमारे गांव के लिये कुछ विकास कार्य नही किया गया। लेकिन छोटे खदान वालों के द्वारा सहयोग किया गया। धन्यवाद.......

11. श्री धनेन्द्र कुमार साहू , ग्राम–नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

➢ मैं अपना अनुभव यहां पर रखना चाहता हूं। मैं यहां पर अपना कारोबार चालू किया। खदान चालू होने से हजारों ड्रायवर को काम मिला। नंदिनी, पथरिया, सहगांव के मजदूरों द्वारा 2 माह तक हड़ताल किया गया। ब्लास्टिंग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का हड़ताल चला। जिसमें हमारे स्वर्गीय वीरा सेठजी आये और समझौता कराये। उस समय 25 सौ से 3 हजार तक पेमेन्ट मिलता था। सेठजी द्वारा सभी ब्लास्टरों को लगभग 10 हजार पेमेन्ट दिलाया गया। उनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है। उनके सहयोग से लगभग 500 लोगों को रोजगार मिला है। यह खदान चालू हो मैं समर्थन करता हूं।

12. श्री अमनदीप सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

➢ आप सबको मेरा प्रणाम। आज सभी आदरणीयों ने सभी समस्याओं को रखा है। जे0के0लक्ष्मी सीमेण्ट प्लाण्ट में किसी भी अहिवारा वासी को नौकरी नही दी गई। उन्हें आधार कार्ड देखकर बाहर कर दिया जाता है। आज के बजट में वेयर हाउस, बिजली आदि को बेचने की बात की जा रही है। युवा पढ़ाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं।

शासन के पास सिस्टम ही नही रहेगा तो युवा बेरोजगार हो जायेंगे। कई खदानों से हमे सहयोग नही मिलता है। आज ये खदान नई खुल रही है। जब हमारे अंकल बीरा सिंह जी थे तो वे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने में मदद करते थे। पारिवारिक काम में वे हमेशा सहयोग करते थे। इन्ही की एक खदान जिसकी आज लोक सुनवाई है। इसके खुलने से रोजगार मिलेगा, सबको सहयोग मिलेगा, खदान खुलनी चाहिए। एचटीसी कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा गांव के लिये सहयोग के लिये हमेशा तत्पर रहा है। यहां स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। इनसे पहले जैसा सहयोग, प्यार मिलता रहेगा, इसके खुलने का हम स्वागत करते हैं। जय हिन्द........

13. श्री घनश्याम यादव, ग्राम–नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

➢ मे0 दलवीर सिंह एण्ड संस मेड़ेसरा लाईम स्टोन माइन की आज जनसुनवाई है। लोग गांव से पलायन क्यों करते हैं। उन्हें रोजगार मिलेगा तो वे पलायन क्यों करेंगे। कोरोना काल में लोग घर से बाहर काम पर गये थे, जब वे वापस प्रस्थान कर रहे थे तो ट्रेन में कटकर मर रहे थे। हमारे क्षेत्र में कंपनियां लगती है उस उद्योग वाले को अगर ग्रामीण अपना जमीन बेचेंगे तो उन्हें कंपनी में रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे 17 खदानों को खोला जाये। कार्यवाही बड़े खदानों, क्रशरों में की जाये। नियम सभी के लिये बनाया जाये। यह खदान चालू किया जाये। एनओसी दी जाये।

14. श्री शिवकुमार पाल, ग्राम–नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

➢ आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं 1983 से यहां काम कर रहा हूं, गांव का उप सरपंच और पंच भी रह चुका हूं। इसके पहले 17 माइन्स का जनसुनवाई का आयोजन हुआ था। आज के वक्तागण 16 आना अपना सहमति देकर चले गये। सूर्यास्त के समय कहीं कुछ होने वाला है, ब्लास्टिंग होगा, इसका एहसास हो जायेगा। लगभग 35–40 किमी0 की दूरी पर बसे गांव के मजदूर भाई जो यहां खदान में काम करते हैं, 2.5 करोड़ राशि मजदूरी के रूप में लगती है। मैं 1983 से किसी न किसी रूप मे प्रतिनिधि रहा। 8 दिसंबर को मेरी नौकरी गई। फिर हम अपने खेती बाड़ी में लगे रहे। मैं दाउ लोगों के यहां जरूर काम किया। कभी किसी का धान मिंजाई किया, धान कांटा। खदान लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, सड़के मिलेगा। मेरे द्वारा 3000 रूपये में काम किया गया। जे0के0 लक्ष्मी सीमेण्ट का 1303/1, रकबा–3 एकड़ क्षेत्र में फाउण्डेशन लगना था। इनके द्वारा प्लाण्टेशन कराया गया। एक दो माह बाद इनके द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया वह भी बन्द कमरे में। यह शिविर खुले मैदान में कराया जाना था, जिससे लोगों को पता चलता। मेनपावर कम करके जहां जिसको मिलना चाहिए ऐसी सुविधा दी जाये। मेरा 67 एकड़ जमीन के बदले नदी किनारे 7 एकड़ मुझे जमीन दी गई है। उद्योगपतियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। वीरा भईया में दयालुता थी। लगभग 1300 बच्चे हमारे यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन बड़ी कंपनियों के द्वारा चाकलेट तक नहीं दिया गया है। खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूं। जय छ0ग0 जय भारत माता।

15. श्री गेंदलाल जोशी, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

➢ इन्द्रजीत भईया यहा कोई भी खदान खोलना चाहते है तो यह हमर गर्व की बात है। शासन ओकर खदान खोले के आदेश जल्दी दे।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री विजय साहू द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। लोगों की जो भी क्वालीफिकेशन है उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्लांट खुलने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ माईंस एण्ड सेफ्टी के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ब्लास्टिंग किया जाएगा।
- 2018 में भारत सरकार के एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.सी. द्वारा जारी राजपत्र जिसमें खदानों को छःमाही कम्पलाईंस कंडीशन जमा करना अनिवार्य किया गया है प्रस्तुत की जाएगी।
- प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना जो प्रस्तुत की गई है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।
- कॉरपोरेट सोसल रिसपॉसबिलिटी का जो फण्ड है उसे सीधे पंचायतों में उनके विकास में उपयोग की जाएगी।
- प्रस्तावित उत्खनन योजना के अनुसार ग्राम वाटर टेबल को इनकाउंटर नहीं किया जाएगा।
- ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

अन्त में मै चाहूँगा कि मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) ने यहॉ बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने उनको एप्रीसिएट किया है। अतः मै इन्द्रजीत सिंह को यहॉ बुलाना चाहूँगा।

मै इन्द्रजीत सिंह मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) का संचालक। सभी यहॉं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये खदान मै यहॉ कोई उद्योगपति बनकर खोलने नहीं आया हूँ, मै आप सब का भाई हूँ, मै इस गॉव का बच्चा हूँ, और आपका साथ हमेशा देता रहूँगा। मेरे यहॉ रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। मेरी यहॉ पथरिया सहगांव में पहले भी खदान है। वहॉ पर भी स्थानीय लोग भी कार्य कर रहे है। और यहॉ पर भी जो खदान चालू होगी उस पर बाहर का कोई आदमी काम नहीं करेगा, मै इसका आश्वासन देता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिये और इस गॉव का हर आदमी चाहिये। मै आप सब का प्यार चाहता हूँ। धन्यवाद।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 06 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण

प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 15 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 80 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 03:15 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

2/2/2021
अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग